

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना-पत्र संख्या :-6/2025  
GCMS NO:- 2025/119

दायर दिनांक- 27.5.2025  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती प्रीति मीणा

बजरंगलाल आ0 बरधा जाति कुम्हार नि0 करवर।

बनाम

प्रार्थी

श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवाँ।

प्रार्थना पत्र:- अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

अप्रार्थी

उपस्थिति:-

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामस्वरूप नागर।

निर्णय दिनांक 27.5.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम करवर के खसरा नम्बर 3199/3101, 3329/2478 कुल किता 2 कुल रकबा 1.0031 हैक्टर भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि की सीमा के संबंध में प्रार्थी व भूमि के पड़ोसी खातेदारों के मध्य विवाद उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.6.2022 को सीमाज्ञान करवा लिया गया है। सीमांकन होने के पश्चात भी भूमि की सीमा के संबंध में विवाद बना हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा, सीमाज्ञान मौका पर्चा की प्रति आदि पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। एकपक्षीय बहस सूनी गयी। बाद बहस के विवेचन, प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बरान 3199/3101, 3329/2478 का सीमांकन पूर्व में हो चुका है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवाँ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता है कि ग्राम करवर के खसरा नम्बर 3199/3101, 3329/2478 कुल किता 2 कुल रकबा 1.0031 हैक्टर भूमि पर यदि प्रार्थी का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ